वित्त विभाग (Finance Department)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता है	लोक प्राधिकार
1	कोषागार से संबंधित मामले	**1. CFMS** ❖ सेवानिवृत कर्मियों का पेंशन भुगतान ❖ संविदा कर्मियों का वेतन एवं अन्य बकाये भत्ते का भुगतान ❖ चालान द्वारा राशि की जमा एवं वापसी	राज्य कर्मी एवं सेवानिवृत कर्मी	कोषागार पदाधिकारी
		2. O-GRAS ❖ राजस्व एवं विभिन्न प्रकार की सेवा शुल्क को ऑनलाईन जमा करना ।	करदाता एवं आम आदमी	कोषागार पदाधिकारी
		3. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम (बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड) ❖ शिक्षा ऋण का वितरण ।	उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी	कोषागार पदाधिकारी
2	बैंकों से संबंधित मामले जो राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में हो	–	–	नोडल पदाधिकारी, बैंकिग/अग्रणी जिला प्रबंधक
3.	राष्ट्रीय बचत	–	–	प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत (जिला पदाधिकारी द्वारा नामित) वित्त विभाग का संकल्प संख्या 10490, दिनांक– 27.11.2023 द्रष्टव्य

संख्या :–02/अ0स्था0(रा0ब0)–4–22/2016../वि0

बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक–..................................

विषयः–वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय बचत संवर्ग के लिपिकों एवं कार्यालय परिचारियों को जिला समाहरणालयों में समान पद पर समायोजित करने हेतु वित्त विभाग को प्राधिकृत किये जाने एवं राष्ट्रीय बचत कार्यालयों के परिसमापन के संबंध में।

वित्त विभाग के अधीनस्थ प्रमण्डल स्तर पर 07 एवं जिला स्तर पर 25 राष्ट्रीय बचत कार्यालय कार्यरत हैं। राष्ट्रीय बचत योजना का कार्यान्वयन इन कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय बचत कार्यालयों के प्रासंगिक नहीं रह जाने के कारण इनका परिसमापन विचाराधीन था।

2. राष्ट्रीय बचत कार्यालयों के लिए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर पदवार स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल का विवरण निम्नवत् है :–

मुख्यालय स्तर				
क्रं0	पद का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल
1	सचिव	भा0प्र0से0	01	0
2	संयुक्त निदेशक	बि0प्र0से0	01	0
3	उप निदेशक	राष्ट्रीय बचत क्षेत्रीय सेवा	01	0
4	सचिव के सचिव	निजी सहायक संवर्ग	01	0
5	निबंधक	सहायक संयुक्त संवर्ग	01	0
6	प्रशाखा पदाधिकारी	सहायक संयुक्त संवर्ग	01	0
7	सहायक	सहायक संयुक्त संवर्ग	06	0
8	निजी सहायक	निजी सहायक संवर्ग	02	0
9	लेखापाल	राष्ट्रीय बचत स्तर	01	0
10	टंकक	वित्त विभागीय स्तर	01	0
11	दिनचर्या लिपिक	वित्त विभागीय स्तर	01	0
12	ट्रेजरी सरकार	वित्त विभागीय स्तर	01	0
13	कार्यालय परिचारी	राष्ट्रीय बचत स्तर	05	0
14	चलचित्र चालक	राष्ट्रीय बचत स्तर	01	0
15	चालक	राष्ट्रीय बचत स्तर	03	0

क्षेत्रीय स्तर				
क्रं0	पद का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल
1	उप निदेशक	विभागीय क्षेत्रीय स्तर पद	04	0
2	वरीय राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी	विभागीय क्षेत्रीय स्तर पद	07	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4	सहायक बचत पदाधिकारी	विभागीय क्षेत्रीय स्तर पद	60	0
5	लिपिक–सह–टंकक	विभागीय क्षेत्रीय स्तर पद	65	19
6	आशुटंकक	विभागीय क्षेत्रीय स्तर पद	08	02
7	चलचित्र चालक	विभागीय क्षेत्रीय स्तर पद	07	0
8	चालक	विभागीय क्षेत्रीय स्तर पद	10	0
9	कार्यालय परिचारी	विभागीय क्षेत्रीय स्तर पद	33	02

3. राष्ट्रीय बचत कार्यालयों की प्रासंगिकता के आलोक में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के अनुरूप राष्ट्रीय बचत संवर्ग के पदाधिकारी बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा में समायोजित हो चुके हैं। विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5979 दिनांक–10.07.2023 द्वारा वर्तमान में कार्यरत 02 आशुटंककों को अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग में समायोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में राष्ट्रीय बचत संवर्ग के 19 लिपिकों तथा 02 कार्यालय परिचारियों को जिला समाहरणालयों में समान पद की रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित किया जाना शेष है।

4. उल्लेखनीय है कि स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–6883 दिनांक–31.08.2016 द्वारा राष्ट्रीय बचत कार्यालयों के लिपिक संवर्ग के पदों को मरणशील घोषित करते हुए इन कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों के लिए क्षेत्रीय स्तर के कर्मियों पर लागू नियमावली के प्रावधानों को ही लागू करने का निर्णय लिया गया था।

5. **सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है किः–**

(i) राष्ट्रीय बचत संवर्ग के वर्तमान में कार्यरत लिपिकों एवं कार्यालय परिचारियों को समाहरणालयों में क्रमशः लिपिक संवर्ग एवं कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित करने की कार्रवाई हेतु वित्त विभाग को प्राधिकृत किया जाता है। साथ ही वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय बचत कार्यालयों के परिसमापन का निर्णय लिया गया है।

(ii) इन कार्यालयों के परिसमापन के उपरांत राष्ट्रीय बचत योजनाओं के संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। प्रभारी उप निदेशक/राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कार्यालय भवन, सरकारी आवास, कार्यालय उपस्कर एवं अभिलेख को प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को प्रत्यर्पित किया जायेगा।

(iii) राष्ट्रीय बचत कार्यालय के लिपिक संवर्ग के संदर्भ में पूर्व में लिये गये निर्णयों को उपर्युक्त हद तक संशोधित समझा जाएगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी कोषागार को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ज्ञापांक :–02/अ0स्था0(रा0ब0)–4–22/2016......10490..../वि0,पटना/दिनांक–..27/11/2023

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय वित्त मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी/सभी प्रभारी उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत/सभी प्रभारी राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव (संसाधन)।

27/11/2023